जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 31-10-2022**

आज दिनांक 31.10.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सोनम कमार** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

बखिरा पुलिस द्वारा चोरी के 02 अदद मोबाइल फोन के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29/30.10.2022 की बीती रात मे नन्दौर कस्बा की मोबाइल की दुकान की शटर का ताला तोड कर मोबाइल और कुछ फुटकर पैसे की चोरी किया था जिसके सम्बन्ध मे वादी मुकदमा शम्स तबरेज पुत्र शौकत अली साकिन महुआ थाना बेलहरकला जनपद संत कबीर नगर की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 343 / 2022 धारा 457 / 380 भा0द0वि0 पंजीकृत करायी गयी थी

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भरद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल **श्री राजीव कुमार यादव** के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बखिरा **श्री अनिल कुमार सिंह** के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 30.10.2022 को पंजीकृत मु0अ0सं0 343/ 2022 धारा 457 / 380 भा0द0वि0 थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर से संबंधित अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर मामूर किया गया था जरिए मुखबीर खास की सूचना पर दिनांक 31.10.2022 को समय 12.10 बजे सोनौरा तिराहा से अभियुक्त अंश गौड पुत्र रामाकान्त निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर को गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की 2 अदद एंड्रायड मोबाइल की बरामदगी की गयी। चोरी के मोबाइल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त के धारा 457 / 380 / 411 भा0द0वि0 मे गिरफ्तारी कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

अंश गौड पुत्र रामाकान्त निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर।

बरामद मोबाइल का विवरण

1. **01 अदद** एंड्रायड मोबाइल रेडमी कम्पनी।
2. 01 अदद एंड्रायड मोबाइल एमआई कम्पनी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरणः-

उ0नि0 श्री संजय कुमार यादव, का0 अब्दुल अलीम

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 किलो 400 ग्राम नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्षो को दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में **थाना कोतवाली खलीलाबाद** पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण / चेकिंग के दौरान अभियुक्त नाम पता मो0 वकील पुत्र मो0 नसीम निवासी बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीर नगर के पास से 01 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार कर किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद पर क्रमशः एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1 - मो0 वकील पुत्र मो0 नसीम निवासी बरदहिया बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 691 / 2022 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट बनाम विशाल, थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल –

प्रभारी चौकी बरदहिया उ0नि0 श्री हरेन्द्रनाथ राय, का0 रविन्द्र निषाद, का0 सुशील गौड़।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल –

प्रभारी चौकी काली जगदीशपुर उ0नि0 हरिकेश भारती, कांस्टेबल शरद राय, कांस्टेबल अरुण गौड़।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा सकुशल अपहृता बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सोनम कुमार** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद **श्री अंशुमान मिश्रा** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद **श्री सर्वेश कुमार राय** के नेतृत्व में **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** मु0अ0सं0 533 / 2022 से संबन्धित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। विदित हो कि उक्त अपहृता के अपहरण के संबन्ध में अपहृता के परिजन की लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 533 / 2022 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया

गया था महिला संबन्धी अपराध के दृष्टिगत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आज उक्त अपहृता को सकुशल बरामद करते हुए विधिक कार्यवाही की गयी ।

बरामद करने वाली टीम - प्रभारी चौकी कलेक्ट्रेट उ0नि0 श्री राकेश कुमार, हे0का0 गौतम यादव, म0का0 प्रियंका सिंह ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

<u>पीआरवी 1487 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहुँचाया गया अस्पताल</u>– पीआरवी 1487 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत छपिया-छितौना से इवेन्ट संख्या 12809 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में एक व्यक्ति (ध्रुवचन्द पुत्र बृजलाल निवासी ग्राम परसा हज्जाम थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती) के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर मार्ग दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 वाहन से सी0एच0सी0 सेमरियांवा भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति का इलाज करवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – आरक्षी संतोष कुमार शुक्ला, आरक्षी अरुण कुमार सिंह, हो0चा0 सुरजीत कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 71 वाहनो से 66,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 31.10.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 71 वाहनों से 66,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।